HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7774/2026

Durga Singh @ Durg Singh S/o Shri Bhawana @ Bhawani Singh, R/o Rajpura, Police Station Kanchhola, District Bhilwara, Raj.
(At Present Confined In District Jail Tonk).

----Accused-Applicant

Versus

The State Of Rajasthan, Through Its P.P.

----Respondent

For Applicant(s)	:	Mr. Vinay Pal Yadav, Adv. Ms. Naina Soni, Adv. & Ms. Pallavi Bohara, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, Dy.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR
(VACATION JUDGE)

Order

03/06/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना–दूदू, जिला–जयपुर ग्रामीण** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–427/2022,** अपराध अन्तर्गत **धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** तथा **धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959** में पेश किया गया है।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि हस्तगत मामले में दिनांक 05.08.2022 को कुल 70 किलो 825 ग्राम डोडा पोस्त बरामद होना बताया गया है, जो कि लावारिस कार से बरामद हुआ है। वक्त घटना प्रार्थी–अभियुक्त मौके पर उपस्थित नहीं था। वक्त घटना दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पंजीकृत स्वामी भवाना दरोगा को पकड़ा गया। भवाना दरोगा ने पूछताछ में बताया कि उक्त वाहन जिससे डोडा पोस्त बरामद किया गया है, उसे प्रार्थी–अभियुक्त चलाता है। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त को

सह–अभियुक्त पंजीकृत वाहन स्वामी के पूछताछ के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त लगभग एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया :–

- **Ajay Khatri Vs. The State of Rajasthan [Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No(S). 1228/2025]** decided on 20.03.2025.

3. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन–पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

4. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत मामले में दिनांक 05.08.2022 को कुल 70 किलो 825 ग्राम डोडा पोस्त बरामद होना बताया गया है, जो कि लावारिस कार से बरामद हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 24.04.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक मामला पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा मामले में विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **दुर्गा सिंह उर्फ दुर्ग सिंह पुत्र भवाना उर्फ भवानी सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–427/2022, पुलिस थाना–दूदू, जिला–जयपुर ग्रामीण** में विद्वान

विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **पचास–पचास हजार रूपये** की दो तस्दीकशुदा सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा प्रार्थी–अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी–अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

ASHUTOSH KUMAR, V.J.

LOKESH RAJ/123